





कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 10 / 2025

दायर दिनांक 23/2/2025

देवकरण पिता शंकरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी देवी सिंह जी का खेडा तहसील  
माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

- 1 मनोज पिता घीसीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 2 सुमित्रादेवी पत्नि ओमप्रकाश जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 3 नारायण पुत्र रतना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 4 सीतादेवी पत्नि नन्दलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 24/3/2025

प्रार्थना पत्र में देवकरण पिता शंकरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी देवी सिंह जी का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0 जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 315 पर अंकित आराजी 1898/46 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लड़ाई झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक बिजौलिया खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार कि मौजा ग्राम थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 315 पर अंकित आराजी 1898/46 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि विशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलिया

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 40 / 2025

दायर दिनांक : 25/2/2025

देवकरण पिता शंकरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी देवी सिंह जी का खेडा तहसील  
माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

.....प्रार्थी

बनाम

- 1 मनोज पिता घीसीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 2 सुमित्रादेवी पत्नि ओमप्रकाश जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 3 नारायण पुत्र रतना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
- 4 सीतादेवी पत्नि नन्दलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 21/3/2025

प्रार्थना पत्र में देवकरण पिता शंकरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी देवी सिंह जी का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0 जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 315 पर अंकित आराजी 1898/46 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लड़ाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक बिजौलिया खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार कि मौजा थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 315 पर अंकित आराजी 1898/46 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि विशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी विजौलिया जिला सीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या - 15 / 2025

दिनांक 25 / 2 / 2025

तहसीलदार विजौलिया

विषय - प्रकरण संख्या 15 / 2025 पत्थरगढी बाबत ।

देवकरण पिता शंकरलाल जाति सोमा उम्र वयस्क निवासी देवी सिंह जी का खेडा तहसील  
माण्डलगढ जिला सीलवाडा

बनाम

.....प्रार्थी

- 1 मनोज पिता धीरीलाल जाति रंगर उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील विजौलिया जिला  
सीलवाडा राज0
- 2 सुमित्रादेवी पति ओमप्रकाश जाति रंगर उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील विजौलिया जिला  
जिला सीलवाडा राज0
- 3 नारायण पुत्र रतना जाति रंगर उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील विजौलिया जिला  
सीलवाडा राज0
- 4 सीतादेवी पति नन्दलाल जाति भाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील विजौलिया जिला  
सीलवाडा राज0


.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अन्यायी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम थडौदा  
पटवार हल्का थडौदा तहसील विजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 315 पर अंकित  
आराजी 1898/46 कुल किता 01 रकबा 0.6476 हैक्टेयर भूमि की बशामलाती पडौसीयान की  
पत्थरगढी की जावे मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये  
पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें  
मु-अभिनिरक्षिक विजौलिया खुर्द को कर्मिन्तर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी  
बदलत प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पूर्व में विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को नोटिस  
देकर सूचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड/अधिकारी  
विजौलिया

हस्ताक्षर वकील

  
Advocate  
Bijolia-Bhilwara  
Mo.-9828886258

ता. 24 मा. 2 सन 25